बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सकारण आदेश

सं0सं0–18(प्रो0को0)/न्याय–01–04/2017–158(4)–02/09,स्वा०/पटना, दिनांक– 25/5/18

डा0 सुशील कुमार सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, जिला पर्षदीय औषाधालय, गोल्डेनगंज सारण सम्प्रति प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, बंसतपुर, सिवान जो दिनांक– 13.09.1978 से 31.01.1981 तक जिला पर्षदीय औषाधालय, गोल्डेनगंज, सारण में सेवारत रहे एवं दिनांक– 01.02.1981 के प्रभाव से अद्यतन पर्षदीय औषधालय का सरकारीकरण के फलस्वरूप सरकारी सेवा में आये, को ए0सी0पी0 की अनुमान्यता के संबंध में पर्षदीय सेवा अवधि की गणना करते हुए ए0सी0पी0/डी0ए0सी0पी0 दी जाय या नहीं, इस संबंध में निर्णय लिया जाना विचारधीन है। फलस्वरूप इससे संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिसमें निम्न तथ्य पाये गये :

1. जिला पर्षदीय औषधालय, गोल्डनगंज, सारण एवं अन्य का सरकारीकरण विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 490(10) दिनांक– 16.03.1981 से 01.02.1981 के प्रभाव से किया गया। डा0 सिंह द्वारा जिला परिषद् में दिनांक– 13.09.1978 से 31.01.1981 तक सेवा दी गई। स्वीकृत्यादेश में स्पष्ट उल्लेखित है कि कर्मी सरकारीकरण की तिथि से सरकारी सेवा में माने जाऐंगे तथा जिला पर्षद में की गई सेवा की गणना सरकारी सेवा में नहीं की जायेगी।

2. डा0 सिंह द्वारा जिला पर्षद में की गई सेवा अवधि की गणना सरकारी सेवा में करने हेतु सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 8874/1992 माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर किया गया। दिनांक– 25.11.1993 को पारित न्यायादेश में विभागीय पत्रांक– 512(14) दिनांक– 22.03.1993 के आधार पर जिला पर्षद में की गई सेवा अवधि की गणना किये जाने संबंधी आदेश निर्गत करने का निदेश दिया गया।

3. विभागीय पत्रांक– 512(14) दिनांक– 22.03.1993 में प्रावधानुसार जिला पर्षद में दी गई सेवा अवधि पेंशन प्रदायी माना गया है, किन्तु पेंशन/उपादान हेतु पर्षद में की गई सेवा की गणना इस शर्त पर की जानी है कि जिला पर्षद से प्राप्त अंशदायी भविष्यनिधि की राशि सूद सहित एकमुस्त राजकोष में कर्मी द्वारा जमा कर दी जाय।

4. विभागीय अधिसूचना संख्या– 740(3) दिनांक– 07.11.2006 से डा0 सिंह की सेवा सरकार के अधीन आने की तिथि (01.02.1981) से गणना करते हुए दिनांक– 09.08.1999 के प्रभाव से प्रथम ए0सी0पी0 एवं दिनांक– 01.02.2005 के प्रभाव से द्वितीय ए0सी0पी0 की स्वीकृति दी गई है।

5. डा0 सिंह द्वारा विभागीय अधिसूचना– 740(3) दिनांक– 07.11.2006 के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 10598/2009 दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक– 07.05.2012 से एतद्संबंधी सकारण आदेश पारित करते हुए निस्तारित करने का निदेश दिया गया।

6. न्यायादेश दिनांक– 07.05.2012 के आलोक में डा0 सिंह द्वारा आवेदन दिनांक– 13.08.2012 समर्पित किया गया। उक्त आवेदन का निस्तारन विभागीय पत्रांक– 512 (14) दिनांक– 22.03.1993 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या– 740(3) दिनांक– 07.11.2006 को शुद्धि पत्र संख्या– 250(3) दिनांक– 03.07.2013 द्वारा संशोधन किया गया। तद्नुसार जिला पर्षदीय सेवा प्रारंभ करने की तिथि 13.09.1978 से सेवावधि की गणना करते हुए द्वितीय ए0सी0पी0 दिनांक– 13.09.2002 के प्रभाव से अनुमान्य कर दिया गया है।

7. डा0 सिंह द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक– 08.07.2015 से पर्षदीय सेवा के आधार पर वरीयता में सुधार करने का अनुरोध किया गया। तदोपरान्त वित्त विभाग का परामार्श प्राप्त किया गया। परामर्शानुसार पर्षदीय सेवा अवधि की गणना कर दिये गये ए0सी0पी0 को नियमानुकुल नहीं बतलाया गया। फलस्वरूप विभागीय आदेश 1406(2) दिनांक– 22.09. 2015 से जिला पर्षदीय सेवा अवधि पर वरीयता निर्धारण के मांग को अस्वीकृत कर दिया एवं उक्त सेवा अवधि के आधार पर दिये गये वित्तीय उन्नयन की लाभ की पुनः समीक्षा किये जाने का निदेश दिया गया।

8. डा0 सिंह को विभागीय अधिसूचना संख्या– 740(3) दिनांक– 7.11.2006 से संबंधित शुद्धिपत्र 250(3) 03.07.2013 से पर्षदीय सेवावधि की गणना करते हुए द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ 13.09.2002 से अनुमान्य किया गया जो पूर्व में सरकारी सेवा में प्रवेश की तिथि 01.02.1981 के आधार पर 01.02.2005 के प्रभाव से दिया गया था। उक्त शुद्धि पत्र सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 8874/1992 में दिनांक– 25.11.1993 को पारित आदेश पर आधारित है तथा उक्त आदेश विभागीय पत्रांक– 512(14) दिनांक– 22.03.1993 पर आधारित है। उक्त विभागीय पत्र से जिला पर्षदीय सेवा अवधि को पेंशन प्रदायी माना गया है और वह भी इस शर्त पर कि जिला पर्षद में प्राप्त अंशदायी भविष्यनिधि की राशि सूद सहित एकमुस्त राशि कर्मी द्वारा राजकोष में जमा कर दी जाय।

9. डा0 सिंह द्वारा पत्र संख्या– 33 दिनांक– 09.02.2018 से जानकारी दी गई है कि उनके द्वारा अंशदायी भविष्यनिधि की राशि प्राप्त नहीं की गई, इसलिए राजकोष में जमा नहीं की गई है। अंशदायी कटौती विवरणी से संबंधित जानकारी उप विकास आयुक्त, सारण से मांग की गई है जो अद्यतन अप्राप्त है। फिर भी डा0 सिंह द्वारा दी गई सूचना से स्पष्ट है कि विभागीय पत्र संख्या– 512(14) दिनांक– 22.03.1993 में संबंधित शर्त का पालन नहीं हुआ है। अतएव उक्त पत्र डा0 सिंह के मामले में लागू नहीं होता है।

10. ए0सी0पी0 नियमावली, 2003 की कंडिका–4 (iii) का उपबंध द्रष्टव्य है :–

> किसी लोक उपक्रम या स्वशासी निकाय का कोई कर्मचारी यदि राज्य सरकार की नियमित सेवा में प्रवेश करता है तो सरकारी सेवा में उसके प्रवेश की तिथि से की गई सेवावधि की ही गणना स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन की मंजूरी के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

11. उक्त प्रावधान के आलोक में वित्त विभाग के परामर्शानुसार पर्षदीय सेवा की गणना कर दी गई ए0सी0पी0 को नियमानुकुल नहीं बतलाया गया है।

12. विभागीय स्वीकृत्यादेश 490(10) दिनांक– 16.03.1981 में निहित निदेश कि सरकारीकरण की तिथि से कर्मी सरकारी सेवा में माने जाऐंगे, के प्रतिकूल पर्षदीय सेवा की गणना करते हुए डा0 सिंह को ए0सी0पी0 अनुमान्य किया गया है।

13. इस तरह स्पष्ट है कि डा0 सिंह को उनकी पर्षदीय सेवा की गणना करते हुए उन्हे दी गई द्वितीय ए0सी0पी0 संबंधी विभागीय अधिसूचना 740(3) दिनांक– 07.11.2006 को शुद्धि पत्र 250(3) दिनांक– 03.07.2013 द्वारा संशोधित किया जाना नियमानुकुल नहीं है।

14. अतः सम्यक् विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किया जाता है :–

(i) जिला परिषद् में की गयी सेवा की गणना कर दी गयी ए०सी०पी० अधिसूचना शुद्धि पत्र सं०–250(3) दिनांक–03.07.2013 को रद्द किया जाता है तथा सरकारी सेवा में योगदान की तिथि –01.02.1981 से गणना कर दी गयी प्रथम एवं द्वितीय ए०सी०पी० अधिसूचना सं०–740(3)दिनांक–07.11.2006 को मान्य किया जाता है।

(ii) डा० सिंह को की गयी अधिक भुगतान की राशि का समायोजन नियमानुसार करने हेतु महालेखाकार (ले०एवं ह०) एवं वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को निदेशित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति डा० सिंह को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भेज दी जाय।

ह0/–
(संजय कुमार)
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–18(प्रो0को0)/न्याय–01–04/2017– 1568(प्र0स0) पटना, दिनांक– 25/5/18

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/ वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि अधिसूचना संख्या– 740(3) दिनांक– 07.11.2006 से संबंधित शुद्धि पत्र संख्या– 250(3) दिनांक– 03.07.2013 के आलोक में भुगतान की गई राशि का समायोजन सहित नियमानुसार प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे।

प्रतिलिपि– अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– संबंधित क्षेत्रीय अपरनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाऍ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर /सिविल सर्जन, सिवान/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी– 2, 3, 9 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– डा0 सुशील कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, बसंतपुर, सिवान को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिपिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/5/18
(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।